संख्या–397/43–2–2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0 प्र0, शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 16 जून, 2014

विषयः– राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/विभागीय कार्यकलापों के कियान्वयन कराये जाने एवं गुड गवर्नेन्स के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनॉक 05 जून, 2014 को सम्पन्न हुई बैठक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुए हैं कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी एवं गवर्नेन्स में सुधार के दृष्टिकोण से निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए :–

(1) योजनाओं/कार्यक्रमों की स्वीकृति निर्गत करने का एकमात्र लक्ष्य न मानकर कार्य प्रक्रिया पर ज्यादा विचार–विमर्श न कर करके योजनाओं के outcome पर घ्यान देना चाहिए व outcome पर सत्त नजर रखनी चाहिए।

(2) विभागों में चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा नियमित रूप से विभागीय स्तर पर सुनिश्चित कराई जाए। निम्नतर स्तर तक भ्रमण/ निरीक्षण कर योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कराया जाए। विभागाध्यक्षों/प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों/ मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा भी नियमित रूप से योजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा कार्यस्थल पर उपस्थित रहकर करायी जाए।

(3) शासन/सचिवालय स्तर पर विभागाध्यक्षों के साथ विभागीय बैठकों की संख्या में कमी करके माह में कम से कम बैठकें आयोजित की जाय।

(4) विभागों में चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों/प्रोजेक्टों की अनुश्रवण प्रणाली को सशक्त किया जाय तथा भारत सरकार की तर्ज पर EMIS/MIS (Management Information System) तकनीक का उपयोग कराया जाए।

(5) शासन/सचिवालय पर विभिन्न विभागाध्यक्षों से बहुत सारे पत्र प्राप्त होते हैं परन्तु कितने पत्रों पर निर्णायक कार्यवाही हुई है, इस हेतु कोई अनुश्रवण प्रणाली नहीं है। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए कि अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर उक्त पत्र पर समुचित कार्यवाही कर ली जाए।

(6) शिकायतों के निस्तारण हेतु शासन/सचिवालय स्तर पर प्रत्येक प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा नागरिकों से मिलने का समय निर्धारित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए।

(7) विभागों में बड़ी संख्या में मा0 न्यायालयों में रिट याचिकायें लम्बित हैं। लम्बित रिट याचिकाओं में अधिकांश संख्या सेवा सम्बन्धी मामलों की हैं। इस हेतु समय से डी0पी0सी0 कराकर, नियमों में यथावश्यक परिवर्तन करके, व प्रत्यावेदनों का समयबद्ध निस्तारण करके रिट याचिकाओं की संख्या में कमी लाई जा सकती है। विभागीय समाधान फोरम को और अधिक लोकप्रिय बनाया जाय। विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव पूर्व की भॉति सेवा संघो से प्रत्येक माह बैठक करके उनकी समस्याओं का त्वरित गति से निपटारा सुनिश्चित करायें।

(8) भ्रष्टाचार की समस्या सब समस्याओं की जड़ है। इसको समाप्त/कम करने के लिये इलेक्ट्रानिक टेक्नालोजी का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए। राजस्व विभाग द्वारा आई0टी0 तकनीक का उपयोग कर सेवाओं को जनता में उपलब्ध कराने हेतु किया जा रहा है। अन्य विभागों द्वारा भी समयबद्ध कायवाही सुनिश्चित करायी जाए। इस हेतु विभागीय कार्यालयों को नागरिकों से फीडबैक/सुझाव प्राप्त करने के लिये सुझाव पेटिका लगायी जाए। विभागों द्वारा सिटिजन चार्टर तैयार कराया जाए तथा सतर्कता जॉचों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए।

(9) प्रत्येक विभाग में **"नीति निर्धारण प्रकोष्ठ"** का गठन कराया जाए। प्रकोष्ठ में विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया जाए तथा 06 माह में एक बैठक अवश्य की जाए।

(10) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि को समयान्तर्गत प्राप्त किया जाए तथा भारत सरकार में जाकर प्रोजेक्ट के माध्यम से अधिक से अधिक धनराशि प्रदेश के विकास हेतु लायी जाए।

(11) श्रम शक्ति के अभाव के कारण कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर समस्त विभागों द्वारा एक–दो वर्ष में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही पूर्ण करायी जाए। सचिवालय स्तर पर विभिन्न अनुभागों में रिक्त पदों की कमी को भी यथाशीघ्र दूर कराया जाए।

(12) प्रत्येक विभाग द्वारा नियमित रूप से अच्छे कार्यो की जानकारी मीडिया को उपलब्ध करायी जाए तथा नकारात्मक खबरों/सुझावों

सूचनाओं का खंडन भी कराया जाए। योजनाओं के बारे में सूचना विभाग के सूचना अधिकारियों के माध्यम से समुचित प्रचार–प्रसार कराया जाए तथा योजनाओं का विज्ञापन एकरूपता लाने के लिये सूचना विभाग के माध्यम से प्रकाशित करवाया जाए।

(13) प्रतिनिधायन की शक्ति बढाना, PFAD एवं EFC की सीमा अधिक करना, पत्रावलियों पर वार्ता की व्यवस्था को खत्म/कम करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।

(14) उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश एवं उनका निरन्तर अनुश्रवण सम्बन्धित विभागों द्वारा कराया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
3– संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

आज्ञा से,

(पी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव।